झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
शुद्धि–पत्र

का०आ०सं०–05/न०वि०/विविध (EESL)–20/2017.....3842....., राँची, दिनांक.....16/06/17

नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या–3717 दिनांक–12.06.2017 के द्वारा आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत Annuity Model के आधार पर LED पथ प्रकाश व्यवस्था के अधिष्ठापन हेतु कुल 14,76,45,164/–रू० की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. उक्त संकल्प के कंडिका–8 को निम्नवत् पढ़ा जाय–

"उक्त योजना के फेज–I एवं फेज–II हेतु CCMS (Central Control & Monitoring System) के लिए आधारभूत संरचना के लिए लागत क्रमशः 6,30,000/–रू० एवं 7,08,000/–रू० यानि कुल 13,38,000/–रू० तथा योजना पर्यवेक्षण लागत 22,28,086/–रू0 आयेगी, जिसका भुगतान नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड द्वारा क्रमशः M/s Energy Efficiency Services Ltd. एवं झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, राँची को आदित्यपुर नगर निगम के माध्यम से Upfront Payment Basis के आधार पर किये गए वास्तविक व्यय को दृष्टिगत रखते हुए किया जायेगा।"

3. उपर्युक्त संकल्प की शेष कंडिकाऐं यथावत् रहेंगी।

4. विभागीय संकल्प संख्या–3717 दिनांक–12.06.2017 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

19.6.17

(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–5/न0वि0/विविध (EESL)–20/2017.....3842.....राँची, दिनांक–.....16/06/17

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची/नोडल पदाधिकारी, ई–गजटीय, नगर विकास एवं आवास विभाग को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

19.6.17

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–5/न0वि0/विविध (EESL)–20/2017.....3842.....राँची, दिनांक–.....16/06/17

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/योजना–सह–वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग/झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त एवं उपायुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी, आदित्यपुर नगर निगम/अध्यक्ष, आदित्यपुर नगर निगम/उपप्रबंधक, M/s EESL/परियोजना निदेशक (प्रशासन), जुडको लिमिटेड/उप सचिव, बजट शाखा/श्री कुणाल, विशेषज्ञ को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/ई–प्राक्यूरमेन्ट सेल, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ प्रेषित ।

19.6.17

सरकार के प्रधान सचिव।